अति आवश्यक

RAJASTHAN RAJYA VIDYUT PRASARAN NIGAM LIMITED

[Corporate Identity Number(CIN: U40109RJ2000SGC016485]

OFFICE OF THE JOINT LEGAL REMEMBRANCER

(Legal Affairs Department)

Regd. Office: Vidyut Bhawan, Janpath, Jyoti Nagar, Jaipur-302005

Telephone: +91-141-2740248 : Fax: +91-141-.....:

Email: jlr.rvpn@rvpn.co.in : Website: www.energy.rajasthan.gov.in/rvpn

No. RVPNL/ JLR/ F.12 (G-6-9)(Part-4)/D. 1207 **Jaipur, Dated:** 29/11/19

समस्त मुख्य अभियन्ता, आर.वी.पी.एन., ...
मुख्य कार्मिक अधिकारी, आर.वी.पी.एन., जयपुर,
मुख्य लेखानियंत्रक, आर.वी.पी.एन., जयपुर,
संयुक्त सचिव (पेंशन), आर.वी.पी.एन., जयपुर
सहा. सचिव (संस्था–प्र./द्वि./तृ./जीएडी),आर.वी.पी.एन, जयपुर

परिपत्र

विषयः– विधि एवं विधिक कार्य विभाग द्वारा वादकरण से संबंधित समेकित परिपत्र– आदेश दिनांक 19.03.2010 के भाग – 02 के बिन्दु संख्या 5.8 की अनुपालना सुनिश्चित किये जाने बाबत्।

संदर्भः– ऊर्जा विभाग से प्राप्त वित्त (नियम) विभाग से जारी परिपत्र (प्रति संलग्न)

विषयान्तर्गत लेख है कि ऊर्जा विभाग से प्राप्त, वित्त (नियम) विभाग से जारी परिपत्र द्वारा विधि एवं विधिक कार्य विभाग द्वारा वादकरण से संबंधित समेकित परिपत्र– आदेश दिनांक 19.03.2010 के भाग –02 के बिन्दु संख्या 5.8 में विधिक्षा हेतु निम्नानुसार निर्देश दिये गये हैः–

"वेतनमान संबंधी प्रकरणों में वित्त विभाग से विधिक्षाः– जिन न्यायालय प्रकरण/वाद/रिट याचिका में वेतनमान से संबन्धित विषयवस्तु अर्न्तग्रस्त एवं विवादित हो, उन प्रकरणों में न्यायालय में जवाब प्रस्तुत करने से पूर्व जवाबदावें की विधिक्षा प्रशासनिक विभाग के माध्यम से वित्त (नियम) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर से अनिवार्यत करवाकर ही जवाब प्रस्तुत किया जावेगा।"

प्रायः संवयवहार में कतिपय मामलों जिनमें वेतनमान से संबन्धित विषयवस्तु अन्तर्ग्रस्त एवं विवादित हो, में जवाबदावे की विधिक्षा न करवाकर सीधे ही प्रशासनिक विभाग द्वारा स्वयं के स्तर से माननीय न्यायालय में जवाबदावा प्रस्तुत कर दिया जाता है। जवाबदावे में वेतनमान नियमों की पूर्ण, उचित एवं स्पष्ट व्याख्या नहीं होने के कारण माननीय न्यायालय में राज्य सरकार के विरूद्ध निर्णय पारित होते हैं। जिसके फलस्वरूप राज्य सरकार को अतिरिक्त वित्तीय भार वहन करना पड़ता है।

अतः उक्त निर्देशों की पालना में आग्रह है कि अपने अधीनस्थ प्रभारी अधिकारीगणों को ऐसे मामलों जिनमें वेतनमान से संबन्धित विषयवस्तु अर्न्तग्रस्त एवं विवादित हो, उन प्रकरणों में न्यायालय में जवाब प्रस्तुत करने से पूर्व जवाबदावे की विधिक्षा प्रशासनिक विभाग के माध्यम से वित्त (नियम) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर से अनिवार्यत करवाकर ही न्यायालय में जवाबदावा प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित करावें।

संयुक्त विधि परामर्शी

प्रतिलिपी :–

1. श्रीमान् शासन उप सचिव, ऊर्जा विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर को आपके पत्रांक प0 8(2)ऊर्जा/19 दिनांक 26.11.19 के क्रम में सूचनार्थ।
2. श्रीमान् अधीक्षण अभियन्ता (एम.आई.एस.), आरवीपीएन, जयपुर को निर्देशानुसार इस आशय हेतु प्रेषित कर आग्रह है कि विभाग की वेबसाईट पर विधि लिंक पर व्यापक प्रसार हेतु उक्त परिपत्र को अपलोड करवाने का श्रम करावें।

विधि अधिकारी

JLR

PS/CMD/T/R No. 3346 205
Dated 26/11/2019

26 NOV 2019

राजस्थान सरकार
ऊर्जा विभाग

प0 8(2)ऊर्जा/19 जयपुर दिनांक

Joint Legal Remembrancer
RRVPNL Jaipur-5
R.R. No. 1789
Date 27.11.19

अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक,
राज0 राज्य विद्युत प्रसारण / उत्पादन निगम,
प्रबन्ध निदेशक,
राज0 अक्षय ऊर्जा निगम, जयपुर
राज0 ऊर्जा विकास निगम, जयपुर
जयपुर/अजमेर/जोधपुर विद्युत वितरण निगम लि0
जयपुर/अजमेर/जोधपुर ।
वरि0 विद्युत निरीक्षक
विद्युत निरीक्षणालय,
जयपुर।

विषयः— शासन सचिव, वित्त (नियम) विभाग से प्राप्त परिपत्र कमांक प. 9(95)वित्त/नियम/2005 बाबत।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत शासन सचिव, वित्त (नियम) विभाग से प्राप्त परिपत्र कमांक प. 9(95)वित्त/नियम/2005 जो विधि एवं विधिक कार्य विभाग द्वारा वादकरण से संबंधित समेकित परिपत्र आदेश दिनांक 19.3.2010 के भाग –2 के बिन्दु संया 5.8 की अनुपालना सुनिश्चित किये जाने से संबंधित है। जिन न्यायिक प्रकरण/वाद/रिट याचिका में वेतनमान से संबंधित विषयवस्तु अर्न्तग्रस्त एवं विवादित हो, उन प्रकरणों में न्यायालय में जवाब प्रस्तुत करने से पूर्व जवाबदावे की विधिक्षा प्रशासनिक विभाग के माध्यम से वित्त (नियम) विभाग से अनिवार्य रूप से करवाकर ही न्यायालय में जवाब पेश किया जावे।

अतः निदेशानुसार प्राप्त परिपत्र की प्रति आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

संलग्नः उपरोक्तानुसार

भवदीय

(चन्द्र प्रकाश चावला)
शासन उप सचिव

206

कार्या... प्रमुख ... शासन सचिव
आ. 6902
दिनांक 18/11/19

राजस्थान सरकार
वित्त (नियम) विभाग

क्रमांक प. 9(95) वित्त / नियम / 2005 दिनांक

परिपत्र

विषयः— विधि एवं विधिक कार्य विभाग द्वारा वादकरण से सम्बन्धित समेकित परिपत्र-आदेश दिनांक 19.03.2010 के भाग-02 के बिन्दु संख्या 5.8 की अनुपालना सुनिश्चित किये जाने के सम्बन्ध में।

विधि एवं विधिक कार्य विभाग द्वारा वादकरण से सम्बन्धित समेकित परिपत्र-आदेश दिनांक 19.03.2010 के भाग-02 के बिन्दु संख्या 5.8 में विधिक्षा हेतु निम्नानुसार निर्देश दिये गये हैं:-

"**वेतनमान सम्बन्धी प्रकरणों में वित्त विभाग से विधिक्षा:-** जिन न्यायालय प्रकरण / वाद / रिट याचिका में वेतनमान से सम्बन्धित विषयवस्तु अर्न्तग्रस्त एवं विवादित हो, उन प्रकरणों में न्यायालय में जवाब प्रस्तुत करने से पूर्व जवाब दावे की विधिक्षा प्रशासनिक विभाग के माध्यम से वित्त (नियम) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर से अनिवार्यतः करवा कर ही न्यायालय में जवाब प्रस्तुत किया जावेगा।"

सामान्य व्यवहार में यह देखा गया है कि प्रशासनिक विभाग द्वारा वेतनमान से सम्बन्धित विषयवस्तु अर्न्तग्रस्त एवं विवादित प्रकरणों में वित्त विभाग से जवाब दावे की विधिक्षा न करवा कर सीधे ही स्वयं के स्तर से माननीय न्यायालय में जवाबदावा प्रस्तुत कर दिया जाता है। जवाबदावे में वेतनमान नियमों की पूर्ण, उचित एवं स्पष्ट व्याख्या नहीं होने के कारण माननीय न्यायालय में राज्य सरकार के विरूद्ध निर्णय पारित होते हैं। जिसके फलस्वरूप राज्य सरकार को अतिरिक्त वित्तीय भार वहन करना पड़ता है।

अतः सभी प्रशासनिक विभाग / विभागाध्यक्षों से अनुरोध है कि विधि एवं विधिक कार्य विभाग द्वारा जारी निर्देशों की पालना में जिन न्यायिक प्रकरण / वाद / रिट याचिका में वेतनमान से सम्बन्धित विषयवस्तु अर्न्तग्रस्त एवं विवादित हो, उन प्रकरणों में न्यायालय में जवाब प्रस्तुत करने से पूर्व जवाब-दावे की विधिक्षा प्रशासनिक विभाग के माध्यम से वित्त (नियम) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर से अनिवार्यतः करवा कर ही न्यायालय में जवाब दावा प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित करावें।

11/11/19

(हेमन्त कुमार गेरा)
शासन सचिव, वित्त (बजट)